>

Title: Need to fix remunerative price of sugarcane – laid.

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : महोदय, उत्तर प्रदेश एवं देश में गन्ना किसानों को उनके गन्ने का उत्पादन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में गन्ना मिल मालिकों की याचिका पर माननीय न्यायालय ने गन्ने का मूल्य निजी मिल मालिकों के लिए रूपये 110 प्रति क्विंटल रखा है जिसके कारण सावजनिक चीनी मिल एवं सहकारी चीनी मिलों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। यह निर्णीत मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम है। खेद की बात है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने किसानों के हित में अपना कोई भी पक्ष नहीं रखा और न ही इस आदेश के लिए कोई अपील की गई तथा पिछले साल का किसानों का गन्ना मूल्य चीनी मिलों पर अभी तक बकाया है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस निर्णय के तहत जिसमें गन्ना किसानों हेतु गन्ने का बिक्री मूल्य रूपये 110 रखा गया है उसके विरूद्ध केन्द्र सरकार द्वारा अपील की जाये और गन्ना किसानों को संरक्षण प्रदान किया जाये।